(5)

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः CE/PWD/DAT/Cir./15/D-958 दिनॉकः 12-05-2015

## परिपत्र संख्या 02/2015–16

प्रायः यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर माइनिंग क्षेत्रों में विभाग द्वारा निर्मित/नवीनीकरण की गई सडकें इन पर गुजरने वाले भारी/ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन के कारण समय से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मुख्यतः इन सडकों की क्रस्ट डिजाईन में इन ओवरलोडेड वाहनों के यातायात का सही आकलन नहीं होने से ये सडकें क्षतिग्रस्त होती हैं।

ओवरलोडेड वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली सडकों को सुरक्षित करने के उदेश्य से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त क्षेत्रों में निर्मित/ नवीनीकृत की जाने वाली सडकों के प्रस्ताव तैयार करते समय इन पर गुजरने वाले ओवरलोडेड वाहनों का सही आकलन कर तदनुसार क्रस्ट डिजाईन की जावे एवं उसके अनुसार ही सडकों का निर्माण/सुदृढीकरण/नवीनीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

माइनिंग क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडकों पर उपलब्ध क्रस्ट थिकनेस डिजाईन के अनुसार नही होने की स्थिति में इन सडकों पर नवीनीकरण के प्रस्ताव नहीं दिए जावें। चूंकि सुदृढीकरण के स्थान पर मात्र नवीनीकरण किए जाने से, इसके शीघ्र ही पुनः क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः नवीनीकरण के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावे कि सडक की क्रस्ट डिजाईन की जांच कर ली गई है एवं यह सडक के यातायात के अनुसार उपयुक्त है।

11/5/15
(जी.एन.शर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर
4. मुख्य अभियंता(पथ)/(पी.एम.जी.एस.वाई.)/(एन.एच.)/(एस.एस.),सा.नि.वि. राज. जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग.......................................(समस्त)
6. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत.....................................................(समस्त)

11/5/15
( जी.एन.शर्मा )
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव